भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3146

जिसका उत्तर 18.12.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरित क्षेत्रों पर अनधिकृत कब्जा

3146. श्री वरुण चौधरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह एक तथ्य है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित हरित क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया गया है या उन पर अनधिकृत कब्जा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के नजदीक अतिक्रमित भूमि का क्षेत्रफल कितना है और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अतिक्रमणों को हटाने हेतु शुरू की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है तथा अतिक्रमणों को हटाने की समय-सीमा क्या होगी?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों की भूमि से अनधिकृत कब्जे को हटाना एक सतत प्रक्रिया है, यद्यपि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरित पट्टियों, अर्थात् पट्टी वृक्षारोपण पर अतिक्रमण के संबंध में सरकार को कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर अनधिकृत कब्जे का विवरण निम्नलिखित है:

01.04.2025 से 25.11.2025 की अवधि के दौरान चिन्हित गए अनधिकृत कब्जों की संख्या	कॉलम (1) के सामने से हटाए गए अनधिकृत व्यवसायों की संख्या
(1)	(2)
256	151

सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना सा.का.4540 (अ) दिनांकित 06.10.2025 के माध्यम से राजमार्ग प्रशासन निकाय का पुनर्गठन किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि एवं यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 26, 27, 36 और 43 के तहत अनधिकृत कब्जे को हटाने की शक्ति भी जिला मजिस्ट्रेटों को प्रत्यायोजित गई है ताकि अनधिकृत कब्जे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनधिकृत कब्जों की पहचान, रिपोर्टिंग और उन्हें हटाने के लिए राजमार्ग प्रशासन नियम, 2004 के तहत 07.08.2025 को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके अलावा, संबंधित समझौते में परिभाषित संविदाकार/रियायतग्राही/प्राधिकरण अभियंता/स्वतंत्र अभियंता/पर्यवेक्षण परामर्शदाता की जिम्मेदारी को पुनः स्थापित किया गया है। साथ ही, नियमित निगरानी के लिए एआई-आधारित डेटा विश्लेषण और हवाई इमेजिंग के साथ आवधिक ड्रोन सर्वेक्षण के प्रावधान भी किए गए हैं।

अतिक्रमण/अवैध कब्जे की सूचना देने में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, मार्ग यात्रा ऐप उपलब्ध कराया गया है और सोशल मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।

एनसीआर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर भीड़भाड़ के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संवर्धन और उन्नयन जैसे उपयुक्त उपाय किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे उपयुक्त स्थानों पर वृक्षारोपण भी किया गया है।

*****